

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 108/2022

अनवान मुकदमा -

1. हरीश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रोहिताश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रायसिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. दुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

--: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

--: उपस्थित अभिभाषकगण :-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता                  | --- वादीगण          |
| 2. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता            | --- प्रतिवादी सं. 1 |
| 3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा | --- प्रतिवादी सं. 2 |

--: निर्णय :-

दिनांक - 25/5/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दु खानदान के सदस्य है जिन पर हिन्दु विधि लागू होती है। सजरा खानदान पेश किया गया है।

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है।

तहसील पीलीबंगा के चक 5 पीबीएन की मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 खाता संख्या 32/28 प0न0 49/325 मु0न0 13 कि0न0 2, 3, 8, 9, 10/2/0.2280, 11/2/0.2280 व प0न0 51/323 मु0न0 2 कि0न0 20/2/0.2280, 21/2/0.2280, 22, 23 की कुल 2.4300 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कमाण्ड दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जमाबंदी की प्रति संलग्न की गई है।

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की कृषि भूमि प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 1 ता 20, 21/1 ता 25/2 की कुल 5.863 है0 कृषि भूमि वादी के दादा

25.05.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सुरजाराम पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज राजस्व थी जिसमें से जरिए विरास्तन नामामन्तकरण संख्या 375 दिनांक 18.10.2021 व इन्तकाल संख्या 378 दिनांक 18.11.2021 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। विरास्तन दर्ज होने के बाद उक्त भूमि का विभाजन जरिए नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 12.01.2022 को होकर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त इन्तकालों की सत्य प्रति पेश की गई है। जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें से मुताबिक हिन्दु विधि हम वादीगण का हमोर पिता प्रतिवादी संख्या 1 के बहिब का हक व हिस्सा बनता है। जिसकी घोषणा पाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हम वादीगण कानून हकदार है। सत्यप्रति जमाबंदी पेश की गई है।

दावा दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम कायम रखी जावे।


अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हंस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

  
25.05.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

**-:: आदेश ::-**

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

  
(रणजीत कुमार RAS)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

# THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

Faculty of Education

Department of Education Studies

EDUCATION 101: Introduction to Education

Assignment 1: The Role of the Teacher

Question 1: Discuss the role of the teacher in the classroom.

Answer: The role of the teacher is to facilitate learning and provide a supportive environment for students.

Question 2: Discuss the role of the teacher in the community.

Answer: The role of the teacher in the community is to act as a role model and provide guidance to students.

Question 3: Discuss the role of the teacher in the school.

Answer: The role of the teacher in the school is to manage the classroom and ensure that all students are learning.

Question 4: Discuss the role of the teacher in the profession.

Answer: The role of the teacher in the profession is to maintain high standards and engage in ongoing professional development.

Question 5: Discuss the role of the teacher in the world.

Answer: The role of the teacher in the world is to prepare students for the challenges of the future.

Question 6: Discuss the role of the teacher in the future.

Answer: The role of the teacher in the future is to adapt to new technologies and pedagogical approaches.

Question 7: Discuss the role of the teacher in the past.

Answer: The role of the teacher in the past was to transmit knowledge and skills to the next generation.

Question 8: Discuss the role of the teacher in the present.

Answer: The role of the teacher in the present is to provide a holistic education that addresses the needs of all students.

Question 9: Discuss the role of the teacher in the future.

Answer: The role of the teacher in the future is to continue to evolve and adapt to the changing needs of society.

Question 10: Discuss the role of the teacher in the world.

Answer: The role of the teacher in the world is to inspire and empower students to make a positive impact on the world.

Question 11: Discuss the role of the teacher in the future.

Answer: The role of the teacher in the future is to continue to be a catalyst for positive change.

Question 12: Discuss the role of the teacher in the world.

Answer: The role of the teacher in the world is to be a source of hope and inspiration for all.

Question 13: Discuss the role of the teacher in the future.

Answer: The role of the teacher in the future is to continue to be a beacon of light in a dark world.

Question 14: Discuss the role of the teacher in the world.

Answer: The role of the teacher in the world is to be a force for good and justice.

Question 15: Discuss the role of the teacher in the future.

Answer: The role of the teacher in the future is to continue to be a source of wisdom and knowledge.

Signature and Stamp

डिक्री व मुकदमें इत्तदाई  
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 108/2022

अनवान मुकदमा -

1. हरीश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रोहिताश कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रायसिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. दुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-


-:: निर्णय ::-

दिनांक - 25/5/2022

वादीगण की ओर से श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर श्री जसपाल सिंह दहिया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एनएसडब्ल्यू की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से चालु खाता सं. 79/67 का प0न0 41/335 मु0न0 35 कि0न0 2/3/0.0350, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/3/0.0480, 7/2/0.073, 8, 9/1/0.060, 12/1/0.0730, 13, 14, 16/2/0.0630, 17, 18, 19/1/0.0990, 23/2/0.0250, 23/3/0.0490, 24/1/0.1380, 24/2/0.0250, 25/1/0.1380, 25/2/0.0250 की कुल 2.3690 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै0मु0 खाला कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 25/5/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत कुमार RAS)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 249/2022


अनवान मुकदमा -

1. ओमप्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रामेश्वर पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. जीतराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. श्योपतराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

..... वादीगण

बनाम

1. निराणाराम पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सावित्री पत्नी निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. शारदा पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सीता पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. कैलाश पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सुशीला पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. देवीलाल पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. रामेश्वरी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. पुष्पा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. रानी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. विद्या पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. गुड्डी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. मोहनलाल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

 17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 249/2022


अनवान मुकदमा -

1. ओमप्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रामेश्वर पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. जीतराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. श्योपतराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

..... वादीगण

बनाम

1. निराणाराम पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सावित्री पत्नी निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. शारदा पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सीता पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. कैलाश पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सुशीला पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. देवीलाल पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. रामेश्वरी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. पुष्पा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. रानी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. विद्या पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. गुड्डी देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. मोहनलाल पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

 17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

15. विनोद पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. माया पत्नी स्व. जयपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. हरीश पुत्र स्व. जयपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
18. पूजा पुत्री स्व. जयपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

--:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::--

--:: उपस्थित अभिभाषक ::--

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. श्री धन्नाराम सुथार | -- वादीगण               |
| 2. विनोद कुमार बिश्नोई | -- प्रतिवादीगण 1 ता 18  |
| 3. राजपैरोकार          | -- प्रतिवादी सं. 19, 20 |

--:: निर्णय ::--

दिनांक -17/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिता के आदेश 6 नियम 14-ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र में वादीगण ने परिवार की वृक्ष वंशावली प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार कृष्णलाल (फौत) की पत्नी गुड्डी देवी दो पुत्र मोहनलाल व विनोद है। प्रतिवादी संख्या 1 निराणाराम की पत्नी सावित्री 4 पुत्रियां शारदा, सीता, कैलाश, सुशीला व दो पुत्र औमप्रकाश व रामेश्वर है। प्रतिवादी संख्या 7 की पत्नी रामेश्वरी व चार पुत्रियां सिलोचना, पुष्पा, रानी, विद्या व तीन पुत्र जीतराम, श्योपतराम, जयपाल (फौत) व जयपाल की पत्नी माया पुत्री पूजा व पुत्र हरीश है।

जैसा कि वाद पत्र में अंकित किया गया है कि वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता संख्या 18/19 के प.नं. 98/358(12) की 1.012 हैक्टेयर, प.नं. 99/357 की 2.783 हैक्टेयर, प.नं. 99/358(11) की 6.200 हैक्टेयर, प.नं. 100/357 की 2.127 हैक्टेयर, प.नं. 102/357(5) की 0.987 हैक्टेयर, प.नं. 102/358(8) की 6.1875 हैक्टेयर, प.नं. 102/359(23) की 3.0074 हैक्टेयर, प.नं. 103/358(7) की 1.4756 हैक्. इस प्रकार आठ पत्थरो की कुल 23.7795 हैक्टेयर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 (देवीलाल) के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 13, 14, 15 प्रत्येक के नाम 1/9-1/9 हिस्सा यानि 3/9 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 संलग्न वाद पत्र की गई है।

चक 33 एन.डी.आर. के खाता संख्या 22 के प.नं. 95/353(21) के किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 की कुल 0.759 हैक्. कमाण्ड मय गै.मु.खाला मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 13, 14, 15 प्रत्येक के नाम 1/9-1/9 हिस्सा यानि 3/9 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 संलग्न वाद पत्र की गई है।

17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उप-अधिकारी पीलीबंगा


तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19/16 के प.नं. 103/358(1) की 0.380 हैक्टेयर व प.नं. 103/359(10) की 1.814 हैक्. इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.194 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 13, 14, 15 प्रत्येक के नाम 1/9- 1/9 हिस्सा यानि कुल 3/9 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य हेतु जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 संलग्न वाद पत्र की गई है।

तहसील हनुमानगढ़ के चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21/21 के प.नं. 103/357(43) की कुल 2.888 हैक्. अनकमाण्ड मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 13, 14, 15 प्रत्येक के नाम 1/9-1/9 हिस्सा यानि कुल 3/9 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य हेतु जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 संलग्न वाद पत्र की गई है।

यह कि वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ता 6 व 8 ता 12 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1,7, व 13 ता 18 के पक्ष मे छोड़ दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण को मुताबिक घरू बंटवारा कर कृषि भूमि निम्न प्रकार प्राप्त हुई है:-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18/19 के प.नं. 102/358(8) किला नं. 1/2/0.228, 2 ता 4, 5/0.235, 6 ता 9, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19, 20/2/0.228, 21/2/0.227, 22 ता 24, 25/10/0.2415 की 6.1695 हैक्. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 8/44/0.0098, 9/46/0.032, 10/0.089, 11/48/0.2389, 12/50/0.0169, 13/52/0.111, 18/56/0.0286, 18/58/0.035, 20/6/0.1261, 20/8/0.006, 21/8/0.0202 की 0.7135 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 23/0.235, 24/0.235 की 0.470 हैक्. इसप्रकार तीनों पत्थरो की कुल 7.353 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19/16 के प.नं. 103/358(1) के की कुल 0.380 हैक्. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 8 ता 13, 18/1/0.110, 19/0.115, 20/0.107 की कुल 1.850 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है।

(ख) वादीगण सं. 3 व 4 प्रतिवादी सं. 7 व 16 ता 18 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 98/358(12) के किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.210, 22/0.235 की 0.445 हैक्. व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 1/1, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.050, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 20, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 5.6884 हैक्. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 11/2/0.203, 12, 13, 18, 19, 20/2/0.203, 22/0.143, 23 की 1.814 हैक्. इस प्रकार चारो पत्थरो की कुल 8.9594 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 33 एन.डी.आर. के खाता सख्या 22/30 के प.नं.

 17.06.2022

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


5/353(21) की कुल 0.759 हैक. कमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी इसप्रकार दोनो चको की कुल 9.7184 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि में से वादीगण सं. 2 व 3 व प्रतिवादी सं. 7 देवीलाल को 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ग) प्रतिवादी सं. 13 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 1/3/0.203, 1/4/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/14/0.1187, 5/16/0.0191, 9, 10/2/0.228 की 1.6058 हैक., प.नं. 99/357(2) के किला नं. 14 ता 17, 24/0.131, 25 की 1.396 हैक. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 21/2/0.203, 22/0.110 की 0.313 हैक. इसप्रकार तीनों पत्थरो की कुल 3.3148 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(घ) प्रतिवादी सं. 14 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 99/357(2) के किला नं. 13, 18, 21, 22, 23, 24/0.122 की 1.387 हैक. कमाण्ड व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 16, 17/0.016, 24/0.0146, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 0.5116 हैक. कमाण्ड इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 1.8986 हैक. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प.नं. 103/359(10) कि.नं. 1/3/0.006, 2/3/0.170, 2/5/0.017, 3/1/0.101, 3/2/0.025, 8/0.217, 9/0.126, 11/1/0.156, 12, 13 की कुल 1.324 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ड) प्रतिवादी सं. 15 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 6/16/0.0233, 7/18/0.2437, 8, 11/2/0.228, 12, 13, 14/20/0.1433, 15/22/0.0043 की 1.4016 हैक. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 1, 2/36/0.2362, 3/38/0.0143, 9/46/0.0946, 10/0.164 की 0.7621 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.1637 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 18/1/0.124, 19/0.138, 20/0.128, 21/0.235, 22, 23/1/0.124 की कुल 1.002 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(च) तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18/19 के प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.018, 22/0.018, 23/0.018, 24/0.018 की 0.072 हैक. व प.नं. 102/358(8) किला नं. 5 की 0.018 हैक. इस प्रकार दोनों पत्थरो की कुल 0.090 हैक. खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 20/0.018, 21/0.018 की कुल 0.036 हैक. अनकमाण्ड व चक 1 सी.एस. के खाता सं. 19 के प.नं. 103/359(10) के किला नं. 2/3/0.036, 3/1/0.127, 8/0.036, 9/0.127, 10/1/0.100, 11/1/0.064 की कुल 0.490 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 7, 13 ता 18 (गुड्डी देवी - मोहनलाल-विनोद 1/3 हिस्सा, देवीलाल-जीतराम- श्योपतराम 1/4 हिस्सा, माया - हरीश - पूजा 1/12 हिस्सा, निराणाराम - ओमप्रकाश - रामेश्वर 1/3 हिस्सा) कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण सं. 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 13 ता 18 को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादीगण सं. 1 ता 4 व प्रतिवादी सं. 13 ता 18 शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1

  
17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

7 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादी को घर बटवारा में प्राप्त भूमि को तहसील हाजा में चल कर वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो डाल मटौल करते रहे परन्तु आज से 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 19 व 20 भू. धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार के रूप में समाधोजित किया गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर विवेदन है किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 (ओमप्रकाश - रामेश्वर व प्रतिवादी सं. 1 गिराणाराम) को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18/19 के प.नं. 102/358(8) किला नं. 1/2/0.228, 2 ता 4, 5/0.235, 6 ता 9, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19, 20/2/0.228, 21/2/0.227, 22 ता 24, 25/10/0.2415 की 6.1695 हैक्. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 8/44/0.0098, 9/46/0.032, 10/0.089, 11/48/0.2389, 12/50/0.0169, 13/52/0.111, 18/56/0.0286, 18/58/0.035, 20/6/0.1261, 20/8/0.006, 21/8/0.0202 की 0.7135 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 23/0.235, 24/0.235 की 0.470 हैक्. इसप्रकार तीनो पत्थरो की कुल 7.353 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प. नं. 103/358(1) के किला नं. 16/1/0.152, 17/1/0.038, 22/2/0.013, 23/2/0.177 की कुल 0.380 हैक्. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 8 ता 13, 18/1/0.110, 19/0.115, 20/0.107 की कुल 1.850 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है।

(ख) वादीगण सं. 3 व 4 प्रतिवादी सं. 7 व 16 ता 18 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 98/358(12) के किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.210, 22/0.235 की 0.445 हैक्. व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 1/1, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.050, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 20, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 5.6884 हैक्. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 11/2/0.203, 12, 13, 18, 19, 20/2/0.203, 22/0.143, 23 की 1.814 हैक्. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल 8.9594 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 33 एन.डी.आर. के खाता सख्या 22 के प.नं. 95/353(21) के किला नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 की कुल 0.759 हैक्. कमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी इसप्रकार दोनो चको की कुल 9.7184 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि मे से वादीगण सं. 2 व 3 प्रतिवादी सं. 7 का 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 को 1/4 हिस्सा ब.हि. ब. खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ग) प्रतिवादी सं. 13 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 1/3/0.203, 1/4/0.025, 2/1/ 0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/14/0.1187, 5/16/0.0191, 9, 10/2/0.228

17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

7 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादी को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि को तहसील हाजा में चल कर वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु आज से 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 19 व 20 भू. धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार के रूप में समायोजित किया गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया गया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 (ओमप्रकाश - रामेश्वर व प्रतिवादी सं. 1 निराणाराम) को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18/19 के प.नं. 102/358(8) किला नं. 1/2/0.228, 2 ता 4, 5/0.235, 6 ता 9, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19, 20/2/0.228, 21/2/0.227, 22 ता 24, 25/10/0.2415 की 6.1695 हैक्. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 8/44/0.0098, 9/46/0.032, 10/0.089, 11/48/0.2389, 12/50/0.0169, 13/52/0.111, 18/56/0.0286, 18/58/0.035, 20/6/0.1261, 20/8/0.006, 21/8/0.0202 की 0.7135 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 23/0.235, 24/0.235 की 0.470 हैक्. इसप्रकार तीनों पत्थरो की कुल 7.353 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प. नं. 103/358(1) के किला नं. 16/1/0.152, 17/1/0.038, 22/2/0.013, 23/2/0.177 की कुल 0.380 हैक्. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 8 ता 13, 18/1/0.110, 19/0.115, 20/0.107 की कुल 1.850 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है।

(ख) वादीगण सं. 3 व 4 प्रतिवादी सं. 7 व 16 ता 18 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 98/358(12) के किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.210, 22/0.235 की 0.445 हैक्. व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 1/1, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.050, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 20, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 5.6884 हैक्. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 11/2/0.203, 12, 13, 18, 19, 20/2/0.203, 22/0.143, 23 की 1.814 हैक्. इसप्रकार चारों पत्थरो की कुल 8.9594 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 33 एन.डी.आर. के खाता सख्या 22 के प.नं. 95/353(21) के किला नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 की कुल 0.759 हैक्. कमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी इसप्रकार दोनों चको की कुल 9.7184 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि में से वादीगण सं. 2 व 3 व प्रतिवादी सं. 7 का 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 को 1/4 हिस्सा ब.हि. ब. खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ग) प्रतिवादी सं. 13 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 1/3/0.203, 1/4/0.025, 2/1/ 0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/14/0.1187, 5/16/0.0191, 9, 10/2/0.228

17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


की 1.6058 हैक., प.नं. 99/357(2) के किला नं. 14 ता 17, 24/0.131, 25 की 1.396 हैक. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 21/2/0.203, 22/0.110 की 0.313 हैक. इसप्रकार तीनों पत्थरो की कुल 3.3148 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(घ) प्रतिवादी सं. 14 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 99/357(2) के किला नं. 13, 18, 21, 22, 23, 24/0.122 की 1.387 हैक. कमाण्ड व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 16, 17/0.016, 24/0.0146, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 0.5116 हैक. कमाण्ड इसप्रकार दोनों पत्थरो की कुल 1.8986 हैक. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प.नं. 103/359(10) 1/3/0.006, 2/3/0.170, 2/5/0.017, 3/1/0.101, 3/2/0.025, 8/0.217, 9/0.126, 11/1/0.156, 12, 13 की कुल 1.324 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ङ) प्रतिवादी सं. 15 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 6/16/0.0233, 7/18/0.2437, 8, 11/2/0.228, 12, 13, 14/20/0.1433, 15/22/0.0043 की 1.4016 हैक. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 1, 2/36/0.2362, 3/38/0.0143, 9/46/0.0946, 10/0.164 की 0.7621 हैक. इसप्रकार दोनों पत्थरो की कुल 2.1637 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन. डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 18/1/0.124, 19/0.138, 20/0.128, 21/0.235, 22, 23/1/0.124 की कुल 1.002 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(च) तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.018, 22/0.018, 23/0.018, 24/0.018 की 0.072 हैक. व प.नं. 102/358(8) किला नं. 5 की 0.018 हैक. इसप्रकार दोनों पत्थरो की कुल 0.090 हैक. खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 20/0.018, 21/0.018 की कुल 0.036 हैक. अनकमाण्ड व चक 1 सी.एस. के खाता सं. 19 के प.नं. 103/359(10) के किला नं. 2/3/0.036, 3/1/0.127, 8/0.036, 9/0.127, 10/1/0.100, 11/1/0.064 की कुल 0.490 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 7, 13 ता 18 (गुड्डी देवी - मोहनलाल-विनोद 1/3 हिस्सा, देवीलाल-जीतराम- श्योपतराम 1/4 हिस्सा, माया - हरीश - पूजा 1/12 हिस्सा, निराणाराम - ओमप्रकाश - रामेश्वर 1/3 हिस्सा) कृषि भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट विनोद कुमार बिश्नोई हाजिर आये। वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.6.2022 को वादीगण 1 ता 4 व प्रतिवादीगण 1 ता 18 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनों पक्षों में

 17.06.2022

सहायक कलेक्टर एवं

पीलीबंगा

जीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर बाद को डिक्री फरमाया जावे। पहचान सद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 7 द्वारा अपना जबाब स्टेट पेश किया गया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।


उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

#### -:: आदेश ::-

बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत :-

(क) वादीगण सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18/19 के प.नं. 102/358(8) किला नं. 1/2/0.228, 2 ता 4, 5/0.235, 6 ता 9, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12 ता 19, 20/2/0.228, 21/2/0.227, 22 ता 24, 25/10/0.2415 की 6.1695 हैक्. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 8/44/0.0098, 9/46/0.032, 10/0.089, 11/48/0.2389, 12/50/0.0169, 13/52/0.111, 18/56/0.0286, 18/58/0.035, 20/6/0.1261, 20/8/0.006, 21/8/0.0202 की 0.7135 हैक्. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 23/0.235, 24/0.235 की 0.470 हैक्. इसप्रकार तीनों पत्थरो की कुल 7.353 हैक्. कमाण्ड , अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प.नं. 103/358(1) के किला नं. 16/1/0.152,17/1/0.038, 22/2/0.013, 23/2/0.177 की कुल 0.380 हैक्. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 8 ता 13,

  
17.06.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


8/1/0.110, 19/0.115, 20/0.107 की कुल 1.850 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) वादीगण सं. 3 व 4 व प्रतिवादी सं. 7 व 16 ता 18 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 98/358(12) के किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक. व प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.210, 22/0.235 की 0.445 हैक. व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 1/1, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.050, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 20, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 5.6884 हैक. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 11/2/0.203, 12, 13, 18, 19, 20/2/0.203, 22/0.143, 23 की 1.814 हैक. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल 8.9594 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 33 एन.डी.आर. के खाता सख्या 22 के प.नं. 95/353(21) के किला नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 की कुल 0.759 हैक. कमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी इसप्रकार दोनो चको की कुल 9.7184 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि मे से (वादीगण सं. 3 व 4 प्रतिवादी सं. 7 को 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 16,17,18 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) प्रतिवादी सं. 13 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 1/3/0.203, 1/4/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/14/0.1187, 5/16/0.0191, 9, 10/2/0.228 की 1.6058 हैक., प.नं. 99/357(2) के किला नं. 14 ता 17, 24/0.131, 25 की 1.396 हैक. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 21/2/0.203, 22/0.110 की 0.313 हैक. इसप्रकार तीनो पत्थरो की कुल 3.3148 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(घ) प्रतिवादी सं. 14 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 99/357(2) के किला नं. 13, 18, 21, 22, 23, 24/0.122 की 1.387 हैक. कमाण्ड व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 16, 17/0.016, 24/0.0146, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 0.5116 हैक. कमाण्ड इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 1.8986 हैक. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प.नं. 103/359(10) 1/3/0.006, 2/3/0.170, 2/5/0.017, 3/1/0.101, 3/2/0.025, 8/0.217, 9/0.126, 11/1/0.156, 12, 13 की कुल 1.324 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ड) प्रतिवादी सं. 15 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 6/16/0.0233, 7/18/0.2437, 8, 11/2/0.228, 12, 13, 14/20/0.1433, 15/22/0.0043 की 1.4016 हैक. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 1, 2/36/0.2362, 3/38/0.0143, 9/46/0.0946, 10/0.164 की 0.7621 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.1637 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन. डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 18/1/0.124, 19/0.138, 20/0.128, 21/0.235, 22, 23/1/0.124 की कुल 1.002 हैक. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

  
17.06.2021  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

व) तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.018, 22/0.018, 23/0.018, 24/0.018 की 0.072 हैक. व प.नं. 102/358(8) किला नं. 5 की 0.018 हैक. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 0.090 हैक. खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 20/0.018, 21/0.018 की कुल 0.036 हैक. अनकमाण्ड व चक 1 सी.एस. के खाता सं. 19 के प.नं. 103/359(10) के किला नं. 2/3/0.036, 3/1/0.127, 8/0.036, 9/0.127, 10/1/0.100, 11/1/0.064 की कुल 0.490 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि. ब. 1/3, वादी संख्या 3, 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 ब.हि.ब. 1/12, प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 का ब.हि.ब. 1/3 कृषि भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

17.06.2022  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 248/2022

अनवान मुकदमा -

5. ओमप्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. रामेश्वर पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. जीतराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. श्योपतराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

..... वादीगण

बनाम

1. निराणाराम पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सावित्री पत्नी निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. शारदा पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सीता पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. कैलाश पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सुशीला पुत्री निराणाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. देवीलाल पुत्र खुमानाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. रामेश्वरी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. सिलोचना पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. पुष्पा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. रानी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. विद्या पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


11/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 20, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 5.6884 हैक्. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 11/2/0.203, 12, 13, 18, 19, 20/2/0.203, 22/0.143, 23 की 1.814 हैक्. इसप्रकार चारो पत्थरो की कुल 8.9594 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै. मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 33 एन.डी.आर. के खाता सख्या 22 के प.नं. 95/353(21) के किला नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 की कुल 0.759 हैक्. कमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी इसप्रकार दोनो चको की कुल 9.7184 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि मे से वादीगण सं. 3 व 4 तथा प्रतिवादी सं. 7 को 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 16,17,18 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) प्रतिवादी सं. 13 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 1/3/0.203, 1/4/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/14/0.1187, 5/16/0.0191, 9, 10/2/0.228 की 1.6058 हैक्., प.नं. 99/357(2) के किला नं. 14 ता 17, 24/0.131, 25 की 1.396 हैक्. व प.नं. 100/357(3) के किला नं. 21/2/0.203, 22/0.110 की 0.313 हैक्. इसप्रकार तीनो पत्थरो की कुल 3.3148 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(घ) प्रतिवादी सं. 14 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 99/357(2) के किला नं. 13, 18, 21, 22, 23, 24/0.122 की 1.387 हैक्. कमाण्ड व प.नं. 99/358(11) के किला नं. 16, 17/0.016, 24/0.0146, 25/3/0.203, 25/4/0.025 की 0.5116 हैक्. कमाण्ड इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 1.8986 हैक्. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 सी.एस. के खाता सख्या 19 के प.नं. 103/359(10) 1/3/0.006, 2/3/0.170, 2/5/0.017, 3/1/0.101, 3/2/0.025, 8/0.217, 9/0.126, 11/1/0.156, 12, 13 की कुल 1.324 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ड) प्रतिवादी सं. 15 को तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प. नं. 102/359(23) किला नं. 6/16/0.0233, 7/18/0.2437, 8, 11/2/0.228, 12, 13, 14/20/0.1433, 15/22/0.0043 की 1.4016 हैक्. व प.नं. 103/358(7) किला नं. 1, 2/36/0.2362, 3/38/0.0143, 9/46/0.0946, 10/0.164 की 0.7621 हैक्. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.1637 हैक्. कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 18/1/0.124, 19/0.138, 20/0.128, 21/0.235, 22, 23/1/0.124 की कुल 1.002 हैक्. अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(च) तहसील पीलीबंगा के चक 2 सी.एस. के खाता सख्या 18 के प.नं. 102/357(5) किला नं. 21/2/0.018, 22/0.018, 23/0.018, 24/0.018 की 0.072 हैक्. व प.नं. 102/358(8) किला नं. 5 की 0.018 हैक्. इसप्रकार दोनो पत्थरो की कुल 0.090 हैक्. खातेदारी कृषि भूमि व तहसील हनुमानगढ़ के चक 31 एन.डी.आर. के खाता सख्या 21 के प.नं. 103/357(43) के किला नं. 20/0.018, 21/0.018 की कुल 0.036 हैक्. अनकमाण्ड व चक 1 सी.एस. के खाता सं. 19 के प.नं. 103/359(10) के किला नं. 2/3/0.036, 3/1/0.127, 8/0.036, 9/0.127, 10/1/0.100, 11/1/0.064 की कुल 0.490

 17.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं

कमाण्ड, अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि. 1/3, वादी संख्या 3, 4 व प्रतिवादी संख्या 7 ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 ब.हि.ब. 1/12, प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 का ब.हि.ब. 1/3 कृषि भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
17.06.2022  
(रणजीत कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी प्रबन्धी पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा